उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या– \ /XXVII(7)7(1)/2013
देहरादून : दिनांक ०२ नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि, नियमावली, 2006 के नियम–11, अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली के नियम–11(1) तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन बीमा नियमावली, 1984 के नियम–9 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि पेंशन बीमा एवं नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना में अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2016 से दिनों 31 दिसम्बर, 2016 तक 8.0% (आठ प्रतिशत) होगी। उक्त दर 01 अक्टूबर, 2016 से लागू होगी।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या–२५४ (1)/XXVII(7)7(1)/2016 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
7. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, देहरादून, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञाप्ति की 300 (तीन सौ) प्रतियां मुद्रित कराकर शासन की शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. ऑडिट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून (राज्य सरकार की वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु)।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।